"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
उदाराम पुत्र शिवलाल कुम्हार शिवनगर	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 335 / 2021 GCMS No. 2021/1142

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13/12/2021	वादी श्री उदाराम पुत्र शिवलाल जाति कुम्हार निवासी शिवनगर द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पोचना में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2077 ग्राम शिवनगर पटवार मण्डल पोचना के खाता नम्बर 2 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि उदा पुत्र शिवलाल दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम उदाराम पुत्र शिवलाल है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 898398347133 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी पोचना भू.अ.नि पोचना एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि [illegible] के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री [illegible] निर्मल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	1362-1367

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)